

तर चालु तथा पूँजगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिने छ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा गाउँ सभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-१

(दफा २ संग सम्बन्धित)

नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजिम
सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम

रु. हजारमा

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | शीर्षकको नाम | चालु खर्च | पूँजगतखर्च | वित्तीयव्यवस्था | जम्मा |
|---------|---------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|-------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | | गाउँकार्यपालिका | | | | |
| २ | | वडा समिति | | | | |
| ३ | | विषयगत शाखा | | | | |
| ४ | | ऋणको सावा व्याज मुक्तानी | | | | |
| ५ | | लगानी शेयर ऋण | | | | |

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp with the Roman numeral 'IV' and various illegible signatures.